न्यायालय सीनियर सिविल जज, विकासनगर, देहरादून

मूल वाद सं0–107 वर्ष 2022

सुरेश कुमार बनाम महेन्द सिंह आदि

दिनांक–17.05.2023

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। वादी के विद्वान अधिवता श्री एस0के0 गुप्ता एवं प्रतिवादी सं0 के विद्वान अधिवक्ता श्री जे0पी0 कुकरेती एवं प्रतिवादी सं0 2 व 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार उपस्थित। उभयपक्ष के अभिवचन स्पष्ट हैं इसलिए आदेश 10, नियम–2 के अंतर्गत बयान उल्लिखित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः वाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विधिक वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैंः–

1. क्या वादी वादग्रस्त भूमि के मालिक, स्वामी, काबिज है? यदि हॉ तो प्रभाव?
2. क्या प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि तहत वादपत्र में जोर जबरदस्ती से हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहे हैं? यदि हॉ तो प्रभाव?
3. क्या वादी का वाद जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम के प्रावधान से बाधित है?
4. क्या वादी का वाद विशिष्ट अनुतोष अधिनियम के प्रावधान से बाधित है?
5. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन अल्प किया गया है?
6. क्या वादी द्वारा अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
7. अनुतोष?

उपरोक्त वाद–बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु विरचित नहीं होता है ना ही पक्षकारों की ओर से बल दिया गया है। पक्षकार नियत तिथि तक अपने अपने मूल दस्तावेज, स्वीकृति–अस्वीकृति के पृष्ठांकन के बाद, दाखिल करना सुनिश्चित करें। पक्षकारगण आदेश–16, नियम–1 सी0पी0सी0 के अधीन साक्षियों की सूची नियमानुसार पेश करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण प्रारंभिक वाद बिन्दु संख्या– 5 व 6 दिनांक 10.07.2023 को पेश हो।

(रवि शंकर मिश्रा)
सीनियर सिविल जज
विकासनगर, देहरादून।